भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *97

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में भर्ती

***97. श्री धर्मेन्द्र यादवः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 के बाद से खोले गए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों और नए एम्स में सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर और प्राध्यापक के पद पर विभिन्न श्रेणियों नामतः अनारक्षित/सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सृजित नियमित पदों और की गई उनकी भर्तियों की कुल संख्या संस्थान-वार और श्रेणी-वार कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त संस्थानों में संविदा आधार पर कार्यरत संकाय/शिक्षकों और कर्मचारियों की संस्थान और श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) उक्त संविदा शिक्षण संकाय/परामर्शदाताओं/कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवा में व्यवधान सहित/रहित कार्यकाल का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त संस्थानों में सृजित कुल पदों की तुलना में संविदा पर कार्यरत उक्त कर्मचारियों का प्रतिशत संस्थान/विषय-वार और श्रेणी-वार कितना-कितना है;

(ङ) उक्त संस्थानों में नियमित और संविदा आधार पर नियोजित और कार्यरत आरक्षित श्रेणी की तुलना में सामान्य श्रेणी के संकाय/कर्मचारियों की संस्थान-वार और श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है; और

(च) सेवानिवृत्ति के बाद इन पदों पर परामर्शदाता/शिक्षण संकाय/कर्मचारी के रूप में कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या श्रेणी-वार और संस्थान-बार कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 25 जुलाई, 2025 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): मंत्रालय के अधीन किसी चिकित्सा संस्थान में पदों के सृजन के बाद केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर बनाए जाते हैं और तदनुसार भर्ती की जाती है। मंत्रालय के अधीन 2014 के बाद से खोले गए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में सृजित और भरे गए संकाय पदों की कुल संख्या **अनुलग्नक - I** में दी गई है।

(ख) से (घ): संविदा नियुक्ति की अवधि संस्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर छह महीने से दो वर्ष तक, या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, भिन्न-भिन्न होती है। मंत्रालय के अधीन वर्ष 2014 के बाद से खोले गए सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में स्वीकृत नियमित पदों की तुलना में संस्थानवार संविदा शिक्षकों और अन्य संविदा कर्मचारियों की संख्या तथा प्रतिशत **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(ङ): मंत्रालय के अधीन वर्ष 2014 के बाद से खोले गए सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में नियमित और संविदा आधार पर कार्यरत सामान्य वर्ग की तुलना में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों/कर्मचारियों की कुल संख्या, संस्थानवार और श्रेणीवार **अनुलग्नक III** में दी गई है।

(च): मंत्रालय के अधीन वर्ष 2014 के बाद से खोले गए सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में परामर्शदाता/शिक्षण संकाय/कर्मचारी के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों की संख्या **अनुलग्नक IV** में दी गई है।

अनुलग्नक I

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 2014 के बाद से स्थापित सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सृजित और भरे गए प्रोफेसर /एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की संख्या

क्र.सं.	संस्थान	अनारक्षित		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनुसूचित जनजाति		कुल	
		एस	एफ	एस	एफ	एस	एफ	एस	एफ	एस	एफ	एस	एफ
1.	एम्स, बीबीनगर	69	74	39	21	25	12	14	01	10	04	157	112
2.	एम्स, भटिंडा	83	57	51	22	28	13	18	17	13	9	193	118
3.	एम्स, बिलासपुर	84	66	49	20	22	12	23	10	13	06	191	114
4.	एम्स, देवघर	82	67	46	25	25	14	17	00	12	04	182	110
5.	एम्स, गोरखपुर	80	55	47	22	29	15	18	07	13	04	187	103
6.	एम्स, गुवाहाटी	72	62	40	18	21	11	14	00	10	10	157	101
7.	एम्स, कल्याणी	131	86	64	31	25	08	25	21	14	02	259	148
8.	एम्स, मदुरै	67	25	41	18	24	07	14	00	11	00	157	50
9.	एम्स, मंगलागिरी	99	83	58	25	37	15	23	06	16	06	233	135
10.	एम्स, नागपुर	142	117	89	49	57	28	34	16	25	09	347	219
11।	एम्स, रायबरेली	75	63	44	20	28	12	16	04	12	05	175	104
12.	एम्स, राजकोट	85	54	43	17	24	03	16	00	11	02	179	76
13.	एम्स, विजयपुर	69	50	39	18	25	06	14	07	10	05	157	86

एस- स्वीकृत, एफ- नियुक्त

*एम्स, (दरभंगा) एम्स, (अवंतीपुरा) और एम्स, (रेवारी) स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं और इन तीनों संस्थानों में अभी तक संकाय की कोई भर्ती नहीं की गई है।

अनुलग्नक II

संविदा आधार पर कार्यरत कुल संकायों और कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	संस्थान	कुल स्वीकृत पद	संविदा आधार पर संकाय की संख्या	संकाय के अलावा संविदा कर्मियों की संख्या	संकाय सहित कुल संविदा कर्मियों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की तुलना में संविदा कर्मियों का प्रतिशत
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)= एफ/सी x100
1.	एम्स, बीबीनगर	1557	01	04	05	0.32%
2.	एम्स, भटिंडा	2309	01	38	39	1.69%
3.	एम्स, बिलासपुर	1728	08	145	153	8.85%
4.	एम्स, देवघर	1920	10	10	20	1.04%
5.	एम्स, गोरखपुर	1705	04	134	138	8.09%
6.	एम्स, गुवाहाटी	1813	01	01	02	0.11%
7.	एम्स, कल्याणी	2530	00	00	00	00%
8.	एम्स, मदुरै	1094	08	00	08	0.73%
9.	एम्स, मंगलागिरी	2262	13	00	13	0.57%
10.	एम्स, रायबरेली	1626	04	31	35	2.15%
11।	एम्स, नागपुर	2478	01	08	09	0.36%
12.	एम्स, राजकोट	1430	02	03	05	0.35%
13.	एम्स, विजयपुर	1494	19	94	113	7.56%

अनुलग्नक III

2014 के बाद से स्थापित केंद्रीय संस्थान में नियमित और संविदा के आधार पर नियुक्त और कार्यरत संस्थानवार और श्रेणी वार सामान्य वर्ग की तुलना में आरक्षित वर्ग संकाय/कर्मचारियों की कुल संख्या

क्र.सं.	संस्थान		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1.	एम्स, बीबीनगर	संकाय	90	14	04	23	01
2.	एम्स, भटिंडा	संकाय	66	17	11	29	17
3.	एम्स, बिलासपुर	संकाय	75	12	07	20	12
4.	एम्स, देवघर	संकाय	80	17	04	29	00
5.	एम्स, गोरखपुर	संकाय	61	16	05	22	10
6.	एम्स, गुवाहाटी	संकाय	72	12	12	19	00
7.	एम्स, कल्याणी	संकाय	122	10	03	35	00
8.	एम्स, मदुरै	संकाय	28	10	0	20	00
9.	एम्स, मंगलागिरी	संकाय	95	17	06	27	06
10.	एम्स, रायबरेली	संकाय	72	12	05	20	04
11।	एम्स, नागपुर	संकाय	130	28	09	51	16
12.	एम्स, राजकोट	संकाय	54	03	02	17	00
13.	एम्स, विजयपुर	संकाय	68	17	04	17	09

अनुलग्नक IV

2014 के बाद से स्थापित केंद्रीय संस्थानों में परामर्शदाता/शिक्षण संकाय/कर्मचारी के पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों की कुल संख्या

क्र. सं.	**संस्थान**	**संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों की संख्या**
1.	एम्स, बीबीनगर	00
2.	एम्स, भटिंडा	00
3.	एम्स, बिलासपुर	00
4.	एम्स, देवघर	00
5.	एम्स, गोरखपुर	00
6.	एम्स, गुवाहाटी	01 (अनारक्षित)
7.	एम्स, कल्याणी	00
8.	एम्स, मदुरै	00
9.	एम्स, मंगलागिरी	00
10.	एम्स, रायबरेली	00
11।	एम्स, नागपुर	01 (अनारक्षित)
12.	एम्स, राजकोट	00
13.	एम्स, विजयपुर	06 (अनारक्षित)

*****